



2

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2020

माद्रपद 13, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 791/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ०प्र० जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(142)-2020

लखनऊ, 4 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-228

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बयालीसवां संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बयालीसवां संशोधन) संक्षिप्त नाम नियमावली, 2020 कही जायेगी। और प्रारम्भ

(2) यह 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में नियम 7 में, तालिका के स्थान नियम 7 का पर निम्नलिखित तालिका रख दी जायेगी, अर्थात् :- संशोधन

“तालिका

क्रम संख्या	धारा, जिसके अधीन प्रशमन उद्ग्रहण का विकल्प चुना गया है	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की श्रेणी	कर की दर
(1)	(1क)	(2)	(3)
1	धारा 10 की उपधारा (1) और (2)	ऐसे विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं	राज्य में कारोबार का आधा फीसदी
2	धारा 10 की उपधारा (1) और (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार	राज्य में कारोबार का ढाई फीसदी

(1)	(1क)	(2)	(3)
3	धारा 10 की उपधारा (1) और (2)	धारा 10 की उपधारा (1) और (2) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकर्ता	राज्य में कर, योग्य माल और सेवाओं की पूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी
4	धारा 10 की उपधारा (2क)	धारा 10 की उपधारा (1) और (2) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के अन्तर्गत अपात्र किन्तु उसकी उपधारा (2क) के अधीन कर संदाय के विकल्प हेतु पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति	राज्य में माल और सेवाओं की पूर्तियों के कारोबार का तीन फीसदी।"

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification No. 791/XI-2-20-9(42)-17-U.P. G.S.T. Rules-2017-Order(142)-2020, dated September 4, 2020:

No. . 791/XI-2-20-9(42)-17-U.P. G.S.T. Rules-2017-Order(142)-2020

Dated Lucknow, September 4, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (FOURTY SECOND AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fourty Second Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2020.

Amendment of rule 7

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :-

"Table

Sl. No.	Section under which composition levy is opted	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(1A)	(2)	(3)
1	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	half per cent of the turnover in the State
2	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent of the turnover in the State

(1)	(1A)	(2)	(3)
3	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Any other supplier eligible for composition levy under sub-sections (1) and (2) of section 10	half per cent of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State
4	Sub-section (2A) of section 10	Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10	three per cent of the turnover of supplies of goods and services in the State."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 236 राजपत्र-2020-(633)-599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 42 सा० राज्य कर-2020-(634)-1000 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।